

प्रेषक,

श्री अशोक मण्डली,
 संवत्स मण्डली,
 उत्तर प्रदेश जालन ।

सेवा में,

सचिव,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
 शिक्षा केंद्र 2 समुदाय केंद्र,
 प्रीति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 6 अगस्त, 1997

विषय:- शिक्षा सकारित एकाडेमी अमरोहरा मुरादाबाद को सी०बी०एस्० की नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

सहोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे पत्र कलने का निदेश हुआ है कि शिक्षा सकारित एकाडेमी अमरोहरा मुरादाबाद को सी०बी०एस्० की नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीतायती का सम्य तन्व पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध सचिपति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक इतिहास स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित हूलक से अधिक हूलक नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, से वैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोतिल कार दि इण्डियन स्कूल सर्विसेज इन्कॉर्पोरेज नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था केविक एवं शिक्षितर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा ज्यों ब्यावी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/योजनाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय -

1- विद्यालय में कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षणस्तर कर्मियों का वेतन जो वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्थानुसार नहीं है, मानकानुस्य/न्यूनतम मजदूरी के अनुसार दिया जायेगा ।

2- विद्यालय में यथासमय ई०पी०एस० योजना लागू कर शासन को सूचित किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,


शुभिका मांगली
संयुक्त सचिव ।

प०सं० 111/1557-1997 तह दिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, लिटिल स्कालर्स एकाडेमी अमरोहा मुरादाबाद ।

आज्ञा से,



शुभिका मांगली
संयुक्त सचिव ।